

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 12/NT/2024

तारीख मरजुआ : 13-12-2024

कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 उत्तम सिंह, निवासी गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 उत्तम सिंह, निवासी गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं कि राजस्व अभिलेख के महाल मडग्रा में प्रार्थी का नाम कुलदीप पुत्र उत्तम सिंह दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम कुलदीप सिंह पुत्र उत्तम सिंह है, जो सही है। अब प्रार्थी महाल मडग्रा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर कुलदीप सिंह करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इशतहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 13/NT/2024

तारीख मरजुआ : 13-12-2024

राजेश पुत्र गरीब दास, निवासी गांव छातिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी राजेश पुत्र गरीब दास, निवासी गांव छातिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल त्रिलोकनाथ व हडूका में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र गरीब दास दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र गरीब दास है, जो सही है। अब प्रार्थी महाल त्रिलोकनाथ व हडूका के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर राजेश करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इशतहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 14/NT/2024

तारीख मरजुआ : 23-12-2024

पप्पू पुत्र राम लाल, निवासी गांव करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता
प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी पप्पू पुत्र राम लाल, निवासी गांव करपट, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल करपट में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र राम लाल दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र राम लाल है, जो सही है। अब प्रार्थी महाल करपट के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर पप्पू करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इशतहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।
